कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा भीलवाड़ा

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 अन्तर्गत श्रीमान् निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर के पत्रांक – शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–ा/12102(200–बी)/सी.भ./बेसिक कम्प्यूटर अनु./2022 दिनांक 03.04.2023 एवं क्रमांक – शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–ा/12102(200–ाा–ाा)/सी.भ./बेसिक कम्प्यूटर अनु./डिग्री सत्यापन/2023 दिनांक 05.05.2023 द्वारा प्रदत्त निर्देश एवं शर्तो के अनुसार बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती–2022 में गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु अन्तिम रूप से चयनित, पात्र एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों मे से भीलवाडा जिले को आवंटित संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को **बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक** पद पर **राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल 08** में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रुप में 02 वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 12 (6) एफडी (नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 15 (1) एफडी/रूल्स/2017/ जयपुर दिनांक 30.10.2017 के रूल्स 16 शेडयूल IV के प्रावधानानुसार वेतन लेवल–08 में नियत मानदेय रू. 18500/– (अक्षरे अठारह हजार पांच सौ रूपये) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन, नियत मानदेय के रूप में देय होगा ।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.17 (15) शिक्षा–2/2014 जयपुर दिनाक 27.08.2021 के बिन्दु संख्या ब में वर्णित निर्देशों की पालना में कार्यालय द्वारा दिनांक 12.04.2023 से दिनांक 13.04.2023 तक आयोजित परामर्श शिविर (काउंसलिंग) के आधार पर संबंधित अभ्यर्थी के अनुपस्थित रहने पर काउंसलिंग उपरान्त शेष रिक्त पदों मे से पदस्थापन कर **संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रुप से सम्पादित करेगे** :–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार अभ्यर्थी से संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त एवं रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावें । आचरण के पुलिस सत्यापन में अभ्यर्थी के विरूद्व, प्रतिकूल रिपोर्ट पायी जाती हैं तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी साथ ही आपराधिक/विधिक कार्यवाही ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्व अमल में लायी जावेगी । जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उक्त के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे । किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता हैं तो आपके विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी । पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा, इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन होगी ।
2. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेगे।
3. इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेंगे तथा **कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करें ,जिसका नियुक्ति आदेश में छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।**
4. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1) डीओपी/ए–ाा /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरुप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रारुप में 50/– रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रुप से प्राप्त किया जावे।
5. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ हैं, तो तत्संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/– रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रुप से प्राप्त किया जावे।
6. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व–घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
7. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता की वैद्यता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष हैं, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई हैं, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/ प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाए जाने के अध्ययधीन प्रदान की जा रही हैं । नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रुप से शपथ पत्र प्राप्त किया जावे।
8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिए, एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो, की जांच उपरान्त ही कार्यग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।
9. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागु नहीं होता हैं अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमी लेयर का नहीं हैं तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए । यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमीलेयर की श्रेणी में नहीं आता हैं तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवावें ।

Signature valid
Digitally signed by Mahaveer Kumar Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2023.05.09 11:40:10 IST
Reason: Approved

निरन्तर ....2.......

RajKaj Ref No. : 3637021

10. संस्थाप्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व जिनका चयन अन्य पिछडा वर्ग के चयन वर्ग से चयनित आशार्थियों से सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए । महिला आवेदन के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं हैं, परन्तु आशार्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा । ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापस लौटा दें ।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी एवं उनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
12. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प.7 (3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी बचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
13. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
14. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जावेगी ।
15. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।
16. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित विभाग के आदेश क्रमांक एफ–12(9) एफ.डी.(रुल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
17. **संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता हैं कि उक्त कार्मिक काउंसलिंग दिनांक को अनुपस्थित होने से संबंधित अभ्यर्थी के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो सका हैं । अतः निदेशक महोदय के पत्र दिनांक 03.04.2023 की पालना में समस्त दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर चाहे गये शपथ पत्र प्राप्त कर ही संबंधित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाया जावें ।**

संबंधित अभ्यर्थी को नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 30-05-2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा,** उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यग्रहण करने अथवा नहीं करने की सूचना इस कार्यालय को एवं अपने नियन्त्रण अधिकारी को तत्काल प्रेषित करेगें ।

संलग्न :– आदेश सूची – 1

(डॉ. महावीर कुमार शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा

क्रमांक :– जिशिअभी/मुमा/संस्था–2/बेसिक कम्प्यूटर अनु. नियुक्ति/2023/194 दिनांक 09.05.2023

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा अजमेर संभाग, अजमेर ।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाडा ।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – .... जिला भीलवाड़ा को देकर निवेदन है कि अपने ब्लॉक के अधिनस्थ विद्यालयों में लगे बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के कार्यग्रहण की सूचना समेकित कर दिनांक 30.05.2023 तक इस कार्यालय में भिजवावें।
7. संबंधित संस्था प्रधान .... अभ्यर्थी के मूल आवेदन पत्र सहित भेजकर लेख है कि मूल आवेदन इनकी व्यक्तिगत पंजिका में लगावें एवं कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय में भिजवावें । जिन अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने पर उनके मूल आवेदन पत्र पुनः इस कार्यालय को वाहक के द्वारा भिजवावें ।
8. संबंधित अभ्यर्थी श्री ....।
9. नोटिस बोर्ड स्थानीय कार्यालय ।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा

Signature valid
Digitally signed by Mahaveer Kumar Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2023.05.09 1?:40:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3637021

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा

क्रमांक :– जिशिअभी / मुमा / संस्था–2 / बेसिक कम्प्यूटर अनु. नियुक्ति / 2023 / 194 दिनांक 09.05.2023

S. No.	ROLL NO.	MERIT NO.	NAME	FATHER NAME	DOB ?	CATE ?	H CATE	GENDER ?	SEL CATE	Posting Place	Block	Photo
1	120387	5774	**NAROTTAM SHARMA**	MADAN LAL SHARMA	15-Dec-86	GEN	--	Male	GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RATANPURA BHADSI (222360)(08240105103)	BADNOR	

(डॉ. महावीर कुमार शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा

Signature valid

Digitally signed by Mahaveer Kumar Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2023.05.09 1?:40:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3637021